

राजस्थान सरकार
निदेशालय, समेकित बाल विकास सेवाएँ

क्रमांक:-एफ-2()प्रशिक्षण/आवंटन/ICDS/18/ 97542-56

जयपुर,दिनांक: 31.5.18

उपनिदेशक,
महिला एवं बाल विकास विभाग,
.....।

विषय:- प्रशिक्षण व्ययों के भुगतान हेतु बजट आवंटन वर्ष 2018-19 बाबत।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत प्रशिक्षण संस्थाओं के प्रशिक्षण व्ययों के भुगतान हेतु वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए निम्न मद अंतर्गत बजट आवंटन किया जाता है:-

मांग संख्या-33

2236- पोषण

02- पोषक भोजन तथा सुपेय का वितरण

101- विशेष पोषण कार्यक्रम

(01)- महिला एवं बाल विकास विभाग के माध्यम द्वारा

[02]- एकीकृत बाल विकास योजना

29- प्रशिक्षण (केन्द्रीय सहायता/राज्य निधि)

(राशि लाखों में)

क.सं.	नाम जिला कार्यालय	केन्द्रीय सहायता	राज्य निधि	कुल आवंटन
1	उपनिदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग, अजमेर	6.00	4.00	10.00
2	" " झालावाड	6.00	4.00	10.00
3	" " जोधपुर	9.00	6.00	15.00
4	" " जयपुर	6.00	4.00	10.00
5	" " भरतपुर	6.00	4.00	10.00
6	" " उदयपुर	12.00	8.00	20.00
7	" " बीकानेर	6.00	4.00	10.00
8	" " नागौर	6.00	4.00	10.00
9	" " डूंगरपुर	6.00	4.00	10.00
10	" " चुरू	6.00	4.00	10.00
11	" " पाली	6.00	4.00	10.00
12	" " अलवर	6.00	4.00	10.00
13	" " बांसवाडा	6.00	4.00	10.00
14	" " कोटा	6.00	4.00	10.00
	योग:-	93.00	62.00	155.00

उक्तानुसार आवंटित राशि का उपयोग सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों तथा विभाग के द्वारा जारी दिशा-निर्देशों, भारत सरकार के निर्धारित मापदण्डों (नॉमर्स) एवं उक्त मैचिंग शेरर के अनुपात में नियमानुसार किया जावे।

उपनिदेशक (प्रशिक्षण)

जयपुर,दिनांक: 31.5.18

क्रमांक:-एफ-2()प्रशिक्षण/आवंटन/ICDS/18/ 97557-58

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. वित्तीय सलाहकार, मुख्यालय को आईएफएमएस पर अपलोड करवाने हेतु।
2. एसीपी, मुख्यालय को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।

उपनिदेशक (प्रशिक्षण)